# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**मुटेशन रिविजन नं0–28/2021–22**

**सुबोध कुमार सिंह**

**बनाम्**

**रम्भा कुमारी उर्फ रम्भा देवी एवं अन्य**

**–: आदेश :–**

दिनांक 1/8/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता सुबोध कुमार सिंह, पे0–स्व0 जट्टु राय, सा0–घाटभंडारीडीह, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0–13/2017–18 के आदेश दिनांक–28.07.2021 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा ने अंचल अधिकारी, महागामा के मुटेशन केश नं0–03/2010–11 में दिनांक–24.08.2010 के पारित आदेश को निरस्त किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान रिविजन का संबंध मौजा–घाटभंडारीडीह के जमाबंदी सं0–49 के दाग नं0–46 रकवा 00–16–19 धुर, दाग नं0–96 रकवा 02–00–00 धुर, दाग नं0–166 रकवा 00–02–16 धुर, दाग नं0–269 रकवा 00–01–18 धुर, दाग नं0–270 रकवा 00–18–05 धुर, दाग नं0–305 रकवा 03–13–12 धुर एवं दाग नं0–342 रकवा 01–07–17 धुर जमीन से है। उक्त जमाबंदी की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखन राय उर्फ लखी राय, पे0–गैनू राय वो जट्टु राय, पे0–कार्तिक राय के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत लखी राय की मृत्यु अपने चचेरे भाई जट्टु राय के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हुए नावल्द हो गयी थी। जमाबंदी रैयत जट्टु राय की भी मृत्यु अपने पीछे पत्नि मो0 सोनावती को छोड़कर नावल्द हो गयी। इसलिए जमाबंदी रैयर लखन राय उर्फ लखी राय की जमीन मो0 सोनावती को प्राप्त हुआ। कालान्तर में मो0 सोनावती ने इस रिविजनकर्त्ता को पुत्र के रूप में गोद लिया एवं एक रजिस्टर पोष्यपुत्र दस्तावेज सं0–46/1981 बनाया। मो0 सोनावती की मृत्यु अपने पीछे एक मात्र पुत्र रिविजनकर्त्ता को छोड़कर हो गयी। गत जमाबंदी रैयत जट्टु राय का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

जट्टु राय (जमाबंदी रैयत) मृत

↓

पत्नि मोसमात सोनावती

↓

सुबोध कुमार सिंह(पोष्यपुत्र)
(अपीलकर्त्ता)

उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता पोष्यपुत्र होने के नाते अपनी दत्तक माँ मो0 सोनावती की मृत्यु के बाद उनकी सारी जमीन एवं सम्पति पर दखलकार हुए एवं वैद्यपूर्ण तरीके से अंचल अधिकारी, महागामा के नामांतरण वाद सं0–03/2010–11 के द्वारा अपने नाम से उक्त जमीन का नामांतरण कराया है। इसके बाद अपीलकर्त्ता सरकार को उक्त जमाबंदी की जमीन का लगान भुगतान करते आ रहे हैं एवं अभी भी उक्त जमाबंदी की जमीन पर दखलकार है। उनका आगे कथन है कि उक्त मुटेशन के विरूद्ध उत्तरवादी सं0–1 रम्भा कुमारी उर्फ देवी के द्वारा मो0 सोनावती का पोष्यपुत्री का झूठा आधार बनाकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–09/2014–15 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने निष्पादन हेतु अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा को हस्तान्तरित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा ने उक्त अपील वाद सं0–13/17–18 पंजीकृत किया गया। रिविजनकर्त्ता उक्त अपील वाद में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया एवं उसमें कहा गया कि रिविजनकर्त्ता जट्टु राय के पोष्यपुत्र होने के नाते उनके कानूनी उत्तराधिकारी है एवं उनके सारी जमीन जो अन्य मौजा में भी अवस्थित है, की जमीन को भी नामांतरण वाद सं0–04/2013–14 एवं 07/2008–09 के द्वारा उनके नाम से नांमातरण कर दिया गया है। उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध उक्त रम्भा देवी के द्वारा मुटेशन अपील वाद सं0–18/2017–18 (रम्भा कुमारी बनाम् सुबोध कुमार सिंह) दायर किया गया था, जो आदेश दिनांक–07.02.2019 के द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसमें दोनों मामलें के समान थे। इसलिए उस आधार पर रम्भा देवी का अपील खारिज करने योग्य है। दाखिल प्रत्युत्तर में आगे यह भी उल्लेख किया था कि वर्तमान दसदीक सर्वे में सुबोध कुमार सिंह का नाम उक्त जमीन पर उनका स्वत्व एवं दखल को देखते हुए दर्ज किया है एवं बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा भी मिस पिटीशन केश नं0–1366/2011 में सुबोध कुमार सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका

के न्यायालय में आर0एम0आर0 नं0–140/2014–15 दायर किया गया था, जो सुबोध कुमार सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया गया एवं रम्भा कुमारी के रिविजन आवेदन को खारिज किया गया तथा रम्भा कुमारी को अपना स्वत्व प्रमाणित करने के लिए सिविल न्यायालय के शरण में जाने के लिए निदेश दिया गया। उस दाखिल प्रत्युत्तर में यह भी उल्लेख किया गया था कि रम्भा कुमारी जमाबंदी रैयत जट्टु राय के उत्तराधिकारी नहीं है। बल्कि जमाबंदी रैयत जट्टु राय जाति राजपूत है। लेकिन रम्भा कुमारी ने धर्मोडीह भाग सं0–01 के आँगनबाड़ी के सेविका के पद पर नियुक्ति के लिए दावा आवेदन में तेली जाति होने का दावा कर रही है एवं आँगनबाड़ी सेविका के नियुक्ति से उत्पन्न मुकदमें में भी रम्भा देवी अपने को तेली जाति स्वीकार कर रही है। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के द्वारा नामांतरण के कानून के साथ–साथ मामलें के तथ्यों एवं माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के निर्णय पर भी विचार नहीं किया गया एवं अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा पारित नामांतरण आदेश को गलत तरीके से निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा का पारित आदेश नियम के विपरीत है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी रम्भा कुमारी उर्फ रम्भा देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी रम्भा कुमारी उर्फ रम्भा देवी मोसमात सोनावती की कानूनी रूप से दत्तक पुत्री है, जिसे मोसमात सोनावती के द्वारा दिनांक–14.01.1985 को गोद लिया गया था एवं दिनांक–28.01.1985 को रजिस्ट्री कार्यालय, गोड्डा में पंजीकृत किया गया। उत्तरवादी से संबंधित सरकारी अभिलेख जैसे अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र, दत्तक दस्तावेज, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र आदि से स्पष्ट है कि उत्तरवादी रम्भा कुमारी उर्फ रम्भा देवी जमाबंदी रैयत जट्टु राय की पत्नि मोसमात सोनावती की पुत्री है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा ने अंचल अधिकारी, महागामा के नामांतरण वाद सं0–03/2010–11 में दिनांक–24.08.2010 के आदेश को सही तरीके से रद्द कर दिया है। क्योंकि अंचल अधिकारी, महागामा ने तथ्यों को छिपाकर एवं आवश्यक पक्षकारों को सूचना दिये बिना ही आदेश पारित किया था। उनका आगे कथन है कि माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आर0एम0आर0 नं0–140/14 में दिनांक–24.07.2018 के आदेश के

विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में रिट याचिका दायर की गयी है एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में मामला विचाराधीन है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा दलील दिया गया कि उत्तरवादी जाति तेली दर्शाता है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि उत्तरवादी रम्भा देवी की शादी जय गोपाल साह से हुई है, जो तेली जाति की है एवं हिन्दु धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार शादी के बाद अपने पति का जाति प्राप्त होता है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता का पोष्यपुत्र के आधार पर दावा ही संदिग्ध है और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा ने तथ्यों के अवलोकन उपरांत आदेश पारित किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा घाट मंडारीडीह नं0–653, 667 जमाबंदी सं0–49 रकवा–10–07–07 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखन राय वल्द गनू राय वो जटु राय वल्द कारतीक राय कौम राजपूत के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन का अंचल अधिकारी, महागामा के दाखिल खारिज वाद सं0–03/2010–11 के आदेश दिनांक–24.08.2010 के द्वारा रिविजनकर्त्ता सुबोध कुमार सिंह के नाम से नामांतरण किया गया था, जिसके विरूद्ध उत्तरवादी रम्भा कुमारी उर्फ देवी के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–09/2014–15 दायर किया गया था, जो बाद में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, महागामा को हस्तान्तरित किया गया है एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, महागामा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–13/2017–18 पंजीकृत किया गया तथा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता महागामा के द्वारा आदेश दिनांक–04.02.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, महागामा के नामांतरण वाद सं0–03/2010–11 में पारित आदेश को निरस्त किया गया है। यह भी स्पष्ट होता है कि रिविजनकर्त्ता सुबोध कुमार सिंह के द्वारा निबंधित पोष्यपुत्र दस्तावेज सं0–46/81, दिनांक–14.03.81 के द्वारा पोष्यपुत्र लिये जाने एवं उत्तरवादी रम्भा कुमारी उर्फ रम्भा देवी के द्वारा पोष्यपुत्री दस्तावेज सं0–13/85, दिनांक–28.01.85 द्वारा पोष्यपुत्री लिए जाने के आधार पर उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावा कर रहे है। रिविजन रिविजनकर्त्ता के द्वारा दावा किया गया है कि पोष्यपुत्री दस्तावेज

सं0–13/85, दिनांक–28.01.1985 के आधार उत्तरवादी रम्भा कुमार उर्फ रम्भा देवी का नाम हाल सर्वे के पर्चा में दर्ज हो गया था लेकिन हाल सर्वे के पर्चा से बंदोवस्त पदाधिकारी, संताल परगना बंदोवस्त, दुमका के विविध वाद सं0–1366/2011 के आदेश दिनांक–06.08.2014 द्वारा उत्तरवादी रम्भा कुमार उर्फ रम्भा देवी का नाम विलोपित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी रम्भा कुमार उर्फ देवी के द्वारा मान्नीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–140/2014–15(रम्भा कुमार उर्फ देवी बनाम् सुबोध कुमार सिंह एवं अन्य) दायर किया गया था, जो आदेश दिनांक–24.07.2018 के द्वारा रम्भा कुमारी उर्फ देवी का दावा है कि मान्नीय आयुक्त, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका के उक्त आदेश के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में डब्लू0पी0(सी0) नं0–4385/2019 दायर किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। इससे स्पष्ट होता है दोनों पक्ष का उक्त जमीन पर स्वत्व से सम्बंधित मामला है और चूँकि मामला मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0–13/2017–18 में दिनांक–04.02.2021 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 13:23:42 +05:30
Location: 192.168.1.38